राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका एवं कार्य

1. एन सी सी के दायित्व मोटे तौर पर इस प्रकार हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय राहत कार्यों का समन्वय करता है तथा राशन, एफ ओ एल तथा सामान की नियमित आपूर्ति के बारे में राज्य निदेशालयों को परामर्श देता है। मुख्य कार्य का निपटान राज्य, ग्रुप व यूनिट स्तर पर किया जाना होता है। इसकी विस्तृत रूप रेखा नीचे दी गई है जिसमें राज्य स्तर पर तथा उसके छोटे संगठनों में प्रत्येक तरह की आपदा के समय उपयोग में लाई जाने वाली स्थायी संचालन प्रक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

2. **मुख्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर**:

(क) **डी जी एन सी सी मुख्यालय की भूमिका**:- संकट काल में मुख्य समन्वय कर्त्ता के रूप में राहत कार्यों का समन्वय करना।

(ख) **शाखाओं की भूमिका**:

(1) **प्रशिक्षण शाखा**

(कक) एस ओ पी (स्थाई संचालन प्रक्रिया) तैयार करना और लागू करना।

(कख) मुख्यालय डी जी एन सी सी में नियंत्रण कक्षों (कंट्रोल रूम) की स्थापना करना और उनको सक्रिय करना।

(कग) एन सी सी में भागीदारी के प्रमाणपत्र जारी करना जिसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा कैडेटो के योगदान को मान्यता प्रदान की जाती है।

(ii) **योजना एवं समन्वय**: राज्य निदेशालयों से प्राप्त सामग्री के आधार पर दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया में प्रचार कराना।

(iii) **कार्मिक एवं वित्त शाखा**: समूह बीमा सहित सभी वित्तीय पहलु तथा व्यय का विनियमन करना।

(iv)**परिभारिकी** : राज्य निदेशालयों द्वारा बांछित सहायता का मूल्यांकन करना उनके द्वारा मांगी गई सामग्री उपलक्षय कराना तथा प्रयुक्त एफ ओ एल व सामान का विनियमन करना।

(v)**एम एस शाखा**: राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सहायता को स्वीकार करने सहित सभी वैधानिक पक्ष।

(ग) **दस्तावेज बनाना**: सिविल अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिएप्रत्येक आंतरिक शाखा हर प्रकार के संकट के लिए राज्य निदेशालयों हेतु अपने से संबंधित दस्तावेजों की सूची प्रदान करेगी।

3. **राज्य निदेशालय**:

(क) राज्य में एस ओ पी/योजना बनाना तथा विवरण को अद्यतन करना।
(ख) कैडेटों की (यूनिटवार) संख्या ।
(ग) कंट्रोल रूप की स्थापना ।
(घ) राज्य प्रशासन के साथ समन्वय ।
(च) एन सी सी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
(छ) चेतावनी प्रणाली की चेक लिस्ट बनाना।
(ज) उपलब्ध और वांछित संप्रेषण प्रणालियां ।
(झ) यूनिटों और कैडेटों का सामर्थ्य निर्माण करना।
(ट) अधिकारियों, ए एन ओ और पी आई स्टाफ की भूमिका निर्धारित करना।

4. **ग्रुप मुख्यालय**

(क) निर्धारित क्षेत्रों में आकड़ों को अद्यतन करने के लिए अपनी संबंधित योजनाओं और एस ओ पी का संशोधन करना।
(ख) कंट्रोल रूम की स्थापना करना।
(ग) अफसरों/पी आई स्टाफ/ए एन ओ/कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना तथा उसका पूर्वाभ्यास करना।
(घ) एस ओ पी/योजनाओं की मानीटरिंग करना।

(च) बचाव के उपाय/संकट के समय नुकसान से बचने के लिए वास्तविक तैयारी करना।
(छ) उपलब्ध डाटा बेस को मजबूत करना।
(ज) दस्तावेज तैयार करना।
(झ) ग्रुप मुख्यालय में अधिकारियों/ए एन ओ, पी आई स्टाफ की भूमिका निर्धारित करना।

5. **<u>एन सी सी बटालियन/यूनिटः</u>**

(क) एस ओ पी/योजनाओं का संशोधन और मॉनिटरिंग करना।
(ख) स्ट्रेंथमिंग और मोनिटरिंग करना संसाधनों और नफरी को मजबूत करना तथा उसकी मॉनिटरिंग करना।
(ग) डाटाबेस मजबूत करना।
(घ) आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना।
(ड़) अद्यःतन चेक लिस्ट बनाना और उसकी मॉनिटरिंग करना।
(च) नफरी और संसाधनों को भौतिक रूप से एकत्रित करना।
(छ) यूनिट कमांडर और पी आई स्टाफ की भूमिका निर्धारित करना।
(ज) प्रेरित करना।
(झ) मानसिक रूप से तैयार करना।
(ट) कैडेटों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना।

6. **<u>शैक्षणिक संस्था/कैडेटों का समूह</u>**

(क) क्या करें और क्या करें का पूर्वाभ्यास (रिहर्सल)
(ख) संकट के बारे में जागरूकता।
(ग) ए एन ओ, एन सी सी पदाधिकारियों और कैडेटों की व्यक्तिगत उपस्थिति ।
(घ) संकट कालीन स्थिति में आवश्यक मदों की चैक-लिस्ट बनाना।
(च) योजनाओं/एस ओ पी को तैयार करने और लागू करने के लिए प्रशिक्षण देना।
(छ) दायित्व सौंपना।

7. **स्वयं के लिए**

(क) योजनाओं की जानकारी

(ख) जोखिम वाले तथ्यों की जानकारी

(ग) प्रशिक्षण

(घ) जागरूकता

(च)चेतावनियों के प्रति सजग रहना

8. भूकंप में जिला आकस्मिक योजनाओं के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई राष्ट्रीय कैडेट कोर की सक्रिय भागीदारी

तूफान, बाढ़ और अकाल में एन सी सी की संस्तुत योगदान अगले पैराग्राफस् में दिया गया है।

9. **भूकम्प कार्रवाई योजना**

(क) **योजना तथा तैयारी**: यूनिटों और ग्रुप मुख्यालयों में काफी समय पहले तैयारी करना।

(ख) **भूकम्प संभावित क्षेत्रों की पहचान**: जिला और राज्य प्रशासन स्तर पर की जाएगी।

(ग) **समस्याओं की पहचान करना:**

(i) एन सी सी कैडेटों द्वारा मृतकों की खोज करना।

(ii) गिरे हुए मलबे में दबे हताहतों को निकालना तथा मलबा हटाने में एन सी सी कैडेटों द्वारा सहायता करना।

(ii) भवनों का ध्वस्त और क्षतिग्रस्त होना/सिविल प्रशासन द्वारा शुरू किया मरम्मत कार्य/एन सी सी कैडेटों द्वारा नजर रखना।

(iv) नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, परिवहन, चिकित्सा, टेलीफोन, सिविल सप्लाई आदि का बाधित होना। एन सी सी कैडेटों द्वारा पुनः चालू करने में सहायता ।

(v) पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन। एन सी सी कैडेटों द्वारा सहायता।

(vi) एन सी सी कैडेटों द्वारा रोग और महामारी के खतरे की आम जनता को सजग करना।

(vii) कानून एवं व्यवस्थाक तोड़ना की स्थिति बिगड़ जाने पर एन सी सी कैडेटों द्वारा सिविल पुलिस की सहायता करना।

(viii) भूकंप से स्वयं सरकारी कर्मचारियों के प्रभावित होने के कारण सामान्य सरकारी मशीनरी प्रभावित होने पर एन सी सी कैडेटों द्वारा एन जी ओ की सहायता करना।

(ix) आम जनता का मनोबल गिर जाने पर लोगों के साथ संपर्क करके उनके मनोबल को पुनः बहाल करना ।

(x) जनता को स्थानांतरित करने में एन सी सी कैडेटों द्वारा यातायात नियंत्रण में सहायता।

(घ) **संसाधनों की पहचान एवं उनका उपयोग**

उपलब्ध एन सी सी कैडेटों का उपयोग एस ओ पी के अनुसार ग्रुप मुख्यालय/यूनिटों द्वारा कैडेटों को संघटित करना।

(च) **कमान और नियंत्रण** एन सी सी संगठन का सिविल प्रशासन के साथ संबद्व होना।

(च) अग्रिम तैयारी कार्रवाई:- एन सी सी मुख्यालय में प्रस्तावित कार्रवाई इस प्रकार होगी।

(i) संगठन की पहले से योजनाओं और रूप-रेखा बनाना।

(ii) कैडेटों को प्रशिक्षण देना।

(iii) सचल संप्रेषण साधनों का विकल्प तैयार करना।

(iv) मलबे में दबे घायलों को बचाने की योजना तैयार करना।

(v) प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सा योजना।

(vi) मलबा हटाना।

(vii) आपातकालीन सफाई, पानी की वैकल्पिक आपूर्ति, बचे हुए और बहुमूल्य सामान की सुरक्षा, खरीददारी उपहार में प्राप्त वस्तुओं वितरण/हिसाब रखना तथा पशुओं की देखभाल करना।

(viii) सुविधाएं उपलब्ध कराना अर्थात, शिविर लगाना, आवश्यक मामलों में सूचना एवं मार्गदर्शन देना, लोगों को स्थानांतरित करना, भोजन, और आश्रय सहित वैकप्लिक सुविधाएं जुटाना।

(ix) कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं सहित संपत्ति की रक्षा करना।

(x) प्रचार करना।

(xi) दहशत न फैलाने देना और लोगों के मनोबल को बनाए रखना।

(छ) **भूकंप के बाद**

(i) त्वरित/तत्काल कार्रवाई करना। प्रभावित व्यक्तियों को मनोबल बनाये रखना तथा उन्हें चिकित्सकीय और भौतिक सहायता करना।

(ii) शिविर का कार्य और नियुक्तियां करना।

(iii) सूचनाएं प्रदान करना।

10 **तूफान संबंधी कार्य योजना।**

(क) **पहली चेताबनी के बाद का कार्य**:- निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करने के लिए कैडेटों को सिविल प्रशासन की सहायता करनी चाहिए।

(i) सिविल प्रशासन द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार पीड़ितों में वितरण के लिए खाद्यान, मिटी का तेल और अन्य शुष्क खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराना।

(ii) तूफान के बाद बचाव के उपाय करने के लिए चिकित्सा और पशु चिकित्सा विभागों को अपेक्षित औषधियाँ और टीके उपलब्ध कराकर पूरी तरह तैयार करना तथा चिकित्सकीय और पशु चिकित्सा यूनिटों के कैडेटों को तैनात कर महामारी फैलने से रोकना।

(iii) तूफान से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राहत-शिविर लगाने की कार्रवाई करना।

(ख) **दूसरी चेतावनी (वास्तविक खतरा) मिलने के बाद की कार्रवाई –**

(i) **मूल्यांकन** खतरे का पूर्वानुमान लगाना और अपने कैडेटों की सुरक्षा करना ।

(ii) **यातायात को पुनः चालू करना**: सिविल प्रशासन की सहायता करना।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गो पर यातायात को नियंत्रित करने में सिविल प्रशासन की सहायता करना।

(ग) तूफान के बाद के उपाय

(i) चिकित्सा उपाय प्राथमिक चिकित्सा सहायता।

(ii)यातायात को पुनः चालू करने में सिविल प्रशासन की सहायता करना।

(iii) गिरे हुए वृक्षों को हटाने के लिए सिविल प्रशासन की सहायता करने हेतू एन सी सी द्वारा पर्याप्त संख्या में चलते-फिरते दस्ते उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) इसके साथ ही यूनिट/ग्रुप मुख्यालय स्थानीय अधिकारियों की सेवाएं लेकर या स्थानीय मीडिया कर्मचारियों को लगाकर क्षति को फोटो लेगा।

बाढ़ कार्य–योजना

(क) **बाढ़ से पूर्व के प्रबंध**

(i) कंट्रोल रूम (नियंत्रण कक्ष) स्थापित करना।

(ii) बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अस्थाई वायर लैस स्थापित करना।

(iii) सिविल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार शुष्क खाद्य सामग्री तथा जीवन के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना।

(iv) चिकित्सा उपायों के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना।

(v) बाढ़ राहत कार्यों का प्रशिक्षण देना।

(vi) राहत दलों को तैयार करना/गठित करना।

(vii) अन्य पूर्वा उपाय करना।

(viii) पैय जल आपूर्ति का वैकल्पिक प्रबंध करना।

(ख) **बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद के प्रबंध**

(i) बचाव अभियान आरंभ करना।

(ii) पीड़ित लोगों के लिए आश्रम स्थल बनाना।

(iii) बुनियादी सुविधाओं जैसे पेय जल, सफाई और लोगों की स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करना तथा राहत शिविरों में पके हुए भोजन का प्रबंध करना।

(iv) उचित समय सीमा में असहाय लोगों के बचाव के लिए पर्याप्त बचाव दल गठित करना।

(v) सड़कों और तटबंधों जैसी आधारभूत सुविधाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य करना।

(vi) स्वास्थ्य के उपाय प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलबध कराना।

10. **अकाल के समय कार्य–योजना**

(क) **पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाना।**

(ख) **पेय जल की व्यवस्था करना।**

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सी जी डब्लू सी) की तकनीकी मदद से तैयार व्यापक आकस्मिक योजना को लागू करने में सिविल प्रशासन की सहायता करना।

(ii) बोर वैल, जल टैंकरों, विशेष रेल गाड़ियों या अन्य उपयुक्त उपायों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति की योजनाएं लागू करने में सिविल प्रशासन की सहायता करना।

(iii) सूखा ग्रस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे निरंतर पेय जल की मानीटरिंग करना तथा सिविल प्रशासन को उससे अवगत कराना।

(ग) **जन स्वास्थ्य**

(i) जल से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए पेय जल स्रोतों को कीटाणू रहित करना।

(ii) संभावित महामारियों को रोकने की योजनाएं बनाना।

(iii) प्रतिरक्षण सहित जन स्वास्थ्य के उपायों पर निरंतर नजर रखना ।

(iv) सभी बच्चों, गर्भबती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौस्टिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना।

(1) बिना संक्रमण वाले पानी के संसाधनों द्वारा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव हो सकेगा।

(2) संभावित महामारियों से बचने के लिए योजना बनाना1

(3) लोगों के स्वास्थय का स्थिर रूप से बचाव करना जिसमें संक्रमण से बचाव शामिल है।

(4) सभी बच्चों, आवश्यक माताओं तथा नर्सिंग मदर्स के लिए पोषकत्वों के विषय में ध्यान रखना।